साक्ष्य अवसर बन्द समझा जावे।

25/5/24 पत्रावली आज पेश हुई। वादी अधिवक्ता न्यायालय में अनुपस्थित। यह पत्रावली राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा, 88, 188, 53, वाद घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, पांती बंटवारा का इस न्यायालय में 8/8/2016 को दर्ज हुआ। प्रतिवादीगण बाद तामिल के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 20.02.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने के कारण वादी की साक्ष्य में दिनांक 20.2.2020 से नियत है। प्रतिवादी द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही के विरुद्ध कोई प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया।

वादी को दिनांक 20.02.2020 से साक्ष्य पेश करने हेतु न्यायालय द्वारा वादी को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जा चुके है। वादी स्वयं न्यायालय मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 14:27:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पन्ना | विपक्षी इसरा
मुकदमा वाद | पत्रावली संख्या 50 सन् 22

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
राहत प्रदान करने हेतू इस न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया। वादी अधिवक्ता को पिछले पेशी दिनांक को भी न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जा चुका है। आज न्यायालय द्वारा 3-3 बार आवाज लगाई गई। बाद आवाज लगाने के उपरांत भी न्यायालय में न तो वादीगण ना ही उनके अधिवक्तागण उपस्थित हुए। न्यायालय द्वारा 3.00 pm पर पुन: 3-3 बार आवाज लगाई गई। लेकिन ना वादीगण ना ही उनके अधिवक्तागण न्यायालय में उपस्थित हुए। उक्त दावा पिछले 8 साल से लंबित है। अत: वादी द्वारा उक्त पत्रावली में न्यायालय द्वारा बार बार आवाज लगाने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण पत्रावली अदम हाजरी - अदम पैरवी मे खारिज की जाती है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 14:27:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली कैलाश शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

24/5/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 14:27:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner